



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]  
No. 372]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 10, 2007/चैत्र 20, 1929  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 2007/CHAITRA 20, 1929

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2007

का.आ. 535(अ).—बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3(2)(ब) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग में निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित करती है :—

1. 'सुश्री दीपा दीक्षित, डी-41, पोम्पाश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश के निकट, नई दिल्ली-48 (बच्चों संबंधी कानूनों के क्षेत्र की विशेषज्ञ); और
2. श्रीमती संध्या बजाज, म. नं. 709, सेक्टर 16-ए, फरीदाबाद, हरियाणा (किंशोर न्याय अथवा उपेक्षित या वर्चित या अक्षम बच्चों की देखभाल के क्षेत्र की विशेषज्ञ)।

सुश्री दीपा दीक्षित तथा श्रीमती संध्या बजाज 3 अप्रैल, 2007 से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, अपना कार्यभार संभालेंगी।

[फा. सं. 3-5/2006-सी. डब्ल्यू.]

लवलीन कवकड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD  
DEVELOPMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2007

S.O. 535(E).—In pursuance of Section 3(2)(b) of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the Central Government hereby nominates the following as the Members of the National Commission for Protection of Child Rights :—

1. Ms. Dipa Dixit, D-41, Pompash Enclave, Near Greater Kailash, New Delhi-48 in the field of laws relating to children; and
2. Smt. Sandhya Bajaj, House No. 709, Sector 16-A, Faridabad, Haryana in the field of juvenile justice or care of neglected or marginalized children or children with disabilities.

Ms. Dipa Dixit and Smt. Sandhya Bajaj shall hold office for a period of three years from 10th April, 2007, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 3-5/2006-CW]

LOVELEEN KACKER, Jt. Secy.